[2019] 9 एस.सी.आर. 249

नवल किशोर मिश्रा

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 979)

05 जुलाई, 2019

[संजय किशन कौल और के.एम. जोसेफ, न्यायमूर्ति]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 372 परंतुक और 378 - दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील - अपील करने की अनुमति मांगे बिना अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का पीड़ित का अधिकार - अभिनिर्धारित किया: पीड़ित को अपील दायर करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में कोई अनुमति नहीं लेनी चाहिए - अपील को एक नियमित अपील के रूप में देखा जाना चाहिए - यह राज्य द्वारा दायर अपील से अलग है जिसमें अपील करने की अनुमति मांगी गई है - पीड़ित द्वारा दायर अपील को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि राज्य को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

मल्लिकार्जुन कोडागल्ली (डी) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य **(2019) 2 एस.सी.सी. 752 - पर भरोसा किया गया।**

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

(2019) 2 एस.सी.सी. 752	**पर भरोसा किया**	**पैरा 14**

आपराधिक अपील अधिकारिता: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 979

सी.आर.पी.सी. की धारा 372 (अपील की अनुमति) के तहत 2017 का दोषपूर्ण आपराधिक विविध आवेदन संख्या 61 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 23.11.2017 के निर्णय और आदेश से।

एम.जेड. चौधरी, आफताब अली खान, सैयद इम्तियाज अली, सैयद मोहम्मद आतिफ, सुश्री आफरीन फातिमा, अधिवक्तागण, अपीलार्थी के लिए।

सुश्री रुचिरा गोयल, प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. हमने प्रत्यर्थी-राज्य के लिए विद्वान अधिवक्ता और अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है। अन्य उत्तरदाताओं को सूचना तामील की गई है लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

3. अभियुक्त-प्रत्यर्थियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 302/34 के तहत 2014 के आपराधिक मामले संख्या 53 से उत्पन्न राज्य बनाम बृंदावन और अन्य शीर्षक से 2014 के सत्र परीक्षण संख्या 80 में मुकदमा चलाया गया था।

4. अभियुक्तों को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 19.12.2016 के निर्णय के संदर्भ में दोषमुक्त कर दिया गया था।

5. उक्त आदेश से व्यथित राज्य ने 2017 की सरकारी अपील संख्या 1947 में अपील करने की अनुमति मांगी। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "सी.आर.पी.सी") की धारा 378 के साथ पठित धारा 372 के संदर्भ में इस तरह की अनुमति को 18.04.2017 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।

6. हालांकि, पीड़ित द्वारा दायर की गई अपील, उपरोक्त घटना के बाद न्यायालय के समक्ष आई और दिनांक 23.11.2017 के आक्षेपित आदेश के तहत निम्नलिखित आधार पर खारिज कर दी गई है:

> "चूँकि इस न्यायालय की एक अन्य पीठ पहले ही अनुमति देने से इनकार कर चुकी है और अनुमति देने से इनकार करने के संबंध में सरकार की अपील ही खारिज हो गई है, इसलिए इस अपील को लंबित रखते हुए एक और रास्ता निकालना सर्वसम्मत नहीं होगा।"

7. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि 2009 के संशोधन अधिनियम 5 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 में प्रावधान को अंतःस्थापित करके किए गए संशोधन के संदर्भ में पीड़ित के अधिकारों का विस्तार किया गया है। प्रावधान इस प्रकार हैः

> "बशर्ते कि पीड़ित को अभियुक्त को दोषमुक्त करने या कम अपराध के लिए दोषी ठहराने या अपर्याप्त मुआवजा देने के न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा, और ऐसी अपील उस न्यायालय में होगी जिसमें ऐसे न्यायालय के दोषसिद्धि के आदेश के खिलाफ आम तौर पर अपील की जाती है।

8. हम देख सकते हैं कि धारा 2 (डब्ल्यू.ए.) पीड़ित को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

> **"पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और "पीड़ित" अभिव्यक्ति में वह या उसका अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल है।"**

9. वर्तमान मामले में, इस प्रकार, पीड़ित में उसके अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं। मृतक अविवाहित था और पीड़ित असली भाई है और इस प्रकार, मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी की श्रेणी में आता है।

10. हालांकि, उसके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि क्या पीड़ित को भी अनुमति लेनी होगी जैसा कि सीआरपीसी की धारा 378 के तहत परिकल्पित स्थिति होगी जैसा कि राज्य के मामले में है, इस पर विचार किया गया है और मल्लिकार्जुन कोडागली (डी) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य[1] मामले में इस न्यायालय के हाल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अब और कोई औचित्य नहीं है, जहां इस न्यायालय ने राय दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत अपील को प्राथमिकता देते हुए पीड़ित को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए अनुमति लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

11. उपरोक्त परिस्थितियों में, यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि अपील करने का अधिकार उपलब्ध होगा, इसलिए यह राज्य द्वारा दायर अपील से अलग है जिसमें अपील करने की अनुमति मांगी गई है और इस प्रकार, वर्तमान मामले में पीड़ित द्वारा दायर अपील को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि राज्य को दोषमुक्त करने के आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है।

12. उपरोक्त याचिका स्वाभाविक रूप से अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थित है।

13. हम उपरोक्त याचिका से सहमत हैं क्योंकि आक्षेपित आदेश के निकाले गए हिस्से से पता चलता है कि पीड़ित की अपील को खारिज करने का एकमात्र कारण (वास्तव में अपील करने की अनुमति के रूप में) इस आधार पर दर्ज किया गया था कि अपील दायर करने के लिए सरकार को अनुमति नहीं दी गई थी।

14. मल्लिकार्जुन कोडागल्ली (डी) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से (ऊपर वर्णित) में निहित कानूनी स्थिति के माध्यम से यह दिखाया जाएगा कि अपीलार्थी अपील दायर करने का अधिकार था और वास्तव में ऐसी स्थिति में कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। इस प्रकार, अपील को एक नियमित अपील के रूप में देखा जाना चाहिए।

15. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम उच्च न्यायालय के आदेश को अपास्त करते हैं और अपील को उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार करने के लिए अपील प्रेषित करने की अनुमति देते हैं।

निधि जैन

मामला उच्च न्यायालय को प्रेषित किया गया।

[1]2019 (2) एस.सी.सी. 752

<u>अस्वीकरण :</u>

क्षेत्रीय भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

लाल सिंह, पूर्व ए.डी.जे.